राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद्

द्वितीय व तृतीय तल, ब्लॉक–5, डॉ.एस. राधाकृष्णन शिक्षा संकुल,
जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर।

rajssashaladarshan@gmail.com फोन–0141–2705937, 2711964

क्रमांक : राप्राशिप/जय/शाला दर्शन/2017–18 /3731 **दिनांक : 6/7/17**

जिला शिक्षा अधिकारी प्रा. शि. एवं
पदेन जिला परियोजना समन्वयक,
सर्व शिक्षा अभियान,
समस्त जिले।

विषय : विद्यार्थियों एवं कार्मिकों के आधार नम्बर अनिवार्य किये जाने के संबंध में।

संदर्भ : कार्यालय पत्र क्रमांक राप्राशिप/जय/शाला दर्शन/2016–17/1593 दिनांक 15.05.2017

उपर्युक्त विषय एवं संदर्भ अन्तर्गत लेख है कि **आधार (वित्तीय एवं अन्य सहायिकियों, असुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम,2017 की धारा 7 के उपबंधों** के अनुसरण में केन्द्र सरकार द्वारा जारी अधिसूचनाओं की प्रति संलग्न कर निर्देशानुसार लेख है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सर्व शिक्षा अभियान योजनान्तर्गत विभिन्न लाभकारी योजनाओं के भुगतान हेतु **निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के प्रावधानों** को क्रियान्वित करने के उद्देश्य से सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत **शाला दर्शन पोर्टल पर आधार नम्बर प्रविष्ट किया जाना अनिवार्य कर दिया गया है।** इस संबंध में पोर्टल पर **आधार नम्बर फीडिंग की अंतिम तिथि 30.06.2017 निर्धारित की गई थी जो अब केन्द्र सरकार के निर्देशानुसार 31.08.2017 कर दी गई है।**

उक्त अधिनियम की क्रियान्विति सुनिश्चित करवाने की अग्रिम कार्यवाही हेतु एवं अपने अधीनस्थ कार्यालयों एवं विद्यालयों के माध्यम से लाभान्वित होने वाले कर्मचारियों एवं छात्र–छात्राओं के आधार कार्ड बनवाना सुनिश्चित करावें तथा **शाला दर्शन पोर्टल पर प्रपत्र 3ए में विद्यार्थियों के विवरण के साथ आधार फीडिंग/अपडेशन निर्धारित तिथि तक करवाया जाना सुनिश्चित करावें।**

कृपया पत्र को प्राथमिकता प्रदान करें।

संलग्न : उपरोक्तानुसार

(डॉ. जोगा राम)
आयुक्त

क्रमांक : राप्राशिप/जय/शाला दर्शन/ 2016–17 /3732 दिनांक 6/7/17

प्रतिलिपि सूचनार्थ :–

1. निजी सचिव, आयुक्त, राप्राशिप, जयपुर।
2. निजी सहायक, अति. आयुक्त, राप्राशिप, जयपुर।
3. संयुक्त शासन सचिव, आयोजना, प्राशि विभाग जयपुर।
4. बीईईओ, समस्त ब्लॉक।
5. पीईईओ, समस्त ग्राम पंचायत राजस्थान।
6. रक्षित पत्रावली।

www.rajteachers.com

आयुक्त